समाहरणालय, दरभंगा
(जिला आपूर्ति शाखा)

डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के चयन के क्रम में प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन हेतु दिनांक–09.06.2018 को आयोजित जिला चयन समिति के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार ।

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1222/खाद्य, पटना/दिनांक–08.03.2017, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक सं0–1750 दिनांक–10.03.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प–963 दिनांक–20.01.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र सं0–2342 दिनांक–15.02.2016 के प्रावधान के आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत सदर दरभंगा/बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के अन्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन हेतु कार्यालय पत्रांक–585 दिनांक–27.05.2017 के द्वारा दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर में दिनांक–31.05.2017 को पी0आर0 नं0–2274/खाद्य 17–18 द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया।

- जिला चयन समिति द्वारा उक्त विज्ञापन के आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत अनुमंडल–सदर दरभंगा/बेनीपुर एवं बिरौल के विभिन्न प्रखंडों के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर विचारोपरान्त इस कार्यालय के ज्ञापांक–812 दिनांक–04.08.2017, ज्ञापांक–813 दिनांक–04.08.2017, ज्ञापांक–816 दिनांक–05.08.2017, ज्ञापांक–817 दिनांक–07.08.2017, ज्ञापांक–818 दिनांक–07.08.2017 एवं ज्ञापांक–821 दिनांक–08.08.2017 के द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए मेधा सूची पर दिनांक–11.08.2017 से दिनांक 16.08.2017 तक दावा/आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।
- जिला चयन समिति की बैठक दिनांक–01.09.17 में अनुमंडल कार्यालय, सदर दरभंगा/बेनीपुर एवं बिरौल के विभिन्न प्रखण्डों से पंचायतवार प्राप्त दावा–आपत्ति पर विचार किया गया एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से दावा/आपत्ति की जॉच/सुनवाई कर स्पष्ट जॉच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दावा/आपत्ति के निष्पादन सूची (अनुलग्नक–III) को जिला के बेवसाईट (**darbhanga.nic.in**) पर प्रकाशित कर दिया जाय।
- माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-10989/2017 Fair Price Dealers Association V/S The State of Bihar and others में पारित स्थगनादेश पर दिनांक–03.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत नये जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निर्णय लिया गया।
- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक–240/दिनांक–28.04.18 से 45 दावा/आपत्ति आवेदन/अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक–517/गो0 दिनांक–03.05.18 से 39 दावा/आपत्ति आवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर के पत्रांक–173 दिनांक–09.12.17 से 7 दावा/आपत्ति आवेदन मंतव्य एवं अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ।
- प्राप्त दावा/आपत्ति आवेदन पर जिला चयन समिति की आज दिनांक–19.05.2018 को आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयन सूची तैयार किया गया। (अनुलग्नक–**IV**)

- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा एवं बिरौल से प्राप्त कुछ दावा/आपत्ति पर स्पष्ट मंतव्य नहीं रहने तथा कुछ दावा/आपत्ति पर जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण जिला चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी पुनः जॉच कर जॉच प्रतिवेदन मंतव्य एवं अनुशंसा के साथ दिनांक–09.06.2018 को होनेवाली जिला चयन समिति की बैठक में अभिलेख के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया था।
- प्राप्त दावा/आपत्ति आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/बेनीपुर एवं बिरौल से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में दिनांक–09.06.2018 को आयोजित जिला चयन समिति की बैठक में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयन सूची तैयार किया गया। (अनुलग्नक–V)
- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा एवं बिरौल से प्राप्त कुछ दावा/आपत्ति पर स्पष्ट मंतव्य नहीं रहने तथा कुछ दावा/आपत्ति पर जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण जिला चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी पुनः जॉच कर जॉच प्रतिवेदन मंतव्य एवं अनुशंसा के साथ दिनांक–25/06/18 को होनेवाली जिला चयन समिति की बैठक में अभिलेख के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।
- जिला चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने–अपने अनुमंडल अन्तर्गत चयनित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को निर्गत अनुज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से व्यापार स्थल का निर्धारण संबंधित पंचायत के वैसे गांव/वार्ड में करेंगे जो पोषक क्षेत्र के लगभग केन्द्र में हो ताकि जन वितरण प्रणाली की दुकान तक पहुँचने में लाभुकों को 2 किलोमीटर से कम दूरी तय करना पड़े। साथ ही पुराने एवं नवचयनित विक्रेताओं के बीच आवंटन विभागीय निदेश के आलोक में यथासंभव बराबर रखने का प्रयास करेंगे।
- जिला चयन समिति द्वारा चयन सूची पर निर्णय के उपरान्त सदर/बेनीपुर एवं बिरौल के स्वीकृत एवं अनुशंसित प्रारूप सूची (अनुलग्नक- .V)को जिला के वेबसाईट **darbhanga.nic.in** पर अपलोड करने तथा इसकी एक प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय एवं संबंधित अनुमंडल कार्यालय/प्रखण्ड कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 543..../जि0आ0, लहेरियासराय, दिनांक 20/06/2018

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, दरभंगा/प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0 सेल, दरभंगा/नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेनीपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल, सदर दरभंगा/बेनीपुर/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

20/06/18

जिलाधिकारी,
दरभंगा।